

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 मार्च 2021 — चैत्र 2, शक 1943

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-34/तीन-जेल/2013.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ जेल (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"10.	उप संचालक (वित्त)	01	प्रथम श्रेणी	67300-213100 (वेतन मैट्रिक्स लेवल-13)	राज्य सरकार"

2. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"16.	शीघ्रलेखक ग्रेड-एक (राजपत्रित)	01	द्वितीय श्रेणी	43200-136500 (वेतन मैट्रिक्स लेवल-10)	राज्य सरकार"

3. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"9.	उप संचालक (वित्त)	01	—	—	100%	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा"

4. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"15.	शीघ्रलेखक ग्रेड-एक (राजपत्रित)	01	—	100%	—	—

5. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7.	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	शीघ्रलेखक ग्रेड-एक (राजपत्रित)	-तदैव-	(1) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामांकित कोई सदस्य — अध्यक्ष. (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (जेल विभाग) — सदस्य. (3) महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें — सदस्य.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2021

क्रमांक एफ 3-34/तीन-जेल/2013.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-34/तीन-जेल/2013, दिनांक 19-03-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 19th March 2021

NOTIFICATION

No. F 3-34/Three-Jail/2013.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Jail (Gazetted) Recruitment & Service Rules, 2008, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

- For serial number 10 and entries relating thereto of Schedule-I, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"10.	Deputy Director (Finance)	01	Class-I	67300-213100 (Level-13)	State Government

2. After serial number 15 and entries relating thereto of Schedule-I, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"16.	Stenographer Grade-I (Gazetted)	01	Class-II	43200-136500 (Level-10)	State Government

3. For serial number 9 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"9.	Deputy Director (Finance)	01	--	---	100%	On deputation from Finance Department"

4. After serial number 14 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"15.	Stenographer Grade-I (Gazetted)			---	100%	--

5. For Serial No. 7 and entries relating thereto of Schedule-IV the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7.	Stenographer Grade-II	Stenographer Grade-I (Gazetted)	-do-	(1) Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission or any member nominated by him -Chairman (2) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary (Jail Department) - Member (3) Director General of Prisons and Correctional Services -Member."	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJEY KUMAR DHURWE, Joint Secretary.